

**बिहार सरकार**  
**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

**संकल्प**

**विषय :-** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत लक्षित जन वितरण प्रणाली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण (End to End Computerization) के द्वितीय चरण में राज्य में उचित मूल्य के दुकानों का स्वचालन (FPS Automation) योजनान्तर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानों में ई-पॉस यंत्र का अधिष्ठापन एवं सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु चयनित प्रणाली समाकलक (System Integrator) लिंकवेल टेलीसिस्टम्स प्रा०लि० को निविदा शर्तानुसार अगले पाँच वर्षों (01 जनवरी, 2025 से 31 दिसम्बर, 2029) तक अवधि विस्तार एवं उक्त मद में 35239.75 लाख रुपये (तीन सौ बावन करोड़ उनचालीस लाख पचहत्तर हजार रुपये) के व्यय की स्वीकृति।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण (End to End Computerization) के द्वितीय चरण में राज्य में उचित मूल्य के दुकानों का स्वचालन योजनान्तर्गत राज्य के सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक-प्वाइंट ऑफ सेल (e-PoS) यंत्र का प्रणाली समाकलक (System Integrator) के माध्यम से अधिष्ठापन एवं उक्त यंत्र के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण एवं पी.एम.यू. के गठन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक दिनांक 19.12.2017 को मद संख्या-21 के रूप में दी गई। तदालोक में राज्य के जन वितरण प्रणाली दुकानों में अगले पाँच वर्षों के लिए रेंटल बेसिस पर ई-पॉस यंत्र का अधिष्ठापन एवं क्रियान्वयन हेतु निविदा के माध्यम से लिंकवेल टेलीसिस्टम्स प्रा०लि०, हैदराबाद को प्रणाली समाकलक के रूप में चयन किया गया।

2. उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प सं०-996 दिनांक 26.02.2019 के द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानों में प्रणाली समाकलक के माध्यम से प्वाइंट ऑफ सेल यंत्र का अधिष्ठापन एवं उक्त यंत्र के माध्यम से खाद्यान्न वितरण मद में रू० 1405/- प्रतिमाह/पॉस/एफ०पी०एस० (सभी कर सहित) की दर से वित्तीय वर्ष 2018-19 में 779 लाख (सात करोड़ उनासी लाख) रुपये एवं अगले पाँच वर्ष तक वार्षिक रूप से 9340 लाख (तिरानवे करोड़ चालीस लाख) रुपये व्यय की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् से प्राप्त की गई। तत्पश्चात् निविदा के माध्यम से चयनित प्रणाली समाकलक लिंकवेल टेलीसिस्टम्स प्रा०लि०, हैदराबाद के साथ अगले पाँच वर्ष तक के लिए एकरारनामा किया गया, जिसकी अवधि 31 दिसम्बर, 2024 को समाप्त हो रही है। उक्त दर खाद्य सुरक्षा (राज्यों को सहायता) नियम-2015 के अन्तर्गत निर्धारित अतिरिक्त डीलर्स मार्जिन की दर 17/- रुपये प्रति क्विंटल अर्थात् केन्द्रांश मद से 8.50/- रुपये प्रति क्विंटल एवं राज्यांश मद से 8.50/- रुपये प्रति क्विंटल के अधीन है।

3. उल्लेखनीय है कि एकरारनामा में वर्णित है कि उक्त अवधि के पश्चात् प्रणाली समाकलक लिंकवेल टेलीसिस्टम्स प्रा०लि०, हैदराबाद के द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानों में अधिष्ठापित प्वाइंट ऑफ सेल (ई-पॉस) यंत्र को चालू अवस्था में विभागीय सम्पत्ति के रूप में जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को हस्तगत करा दिया जाएगा।

4. उक्त के आलोक में लिंकवेल टेलीसिस्टम्स प्रा०लि० हैदराबाद, तेलंगाना के पत्रांक-BHPDS/32/2024-25 दिनांक 03.12.2024 के द्वारा अवधि विस्तार हेतु अनुरोध किया गया। तदालोक में चयनित प्रणाली समाकलक के द्वारा पाँच वर्ष से किए जा रहे ई-पॉस यंत्र के क्रियान्वयन की समीक्षा विभागीय आदेश ज्ञापांक-5392 दिनांक 16.12.2024 के द्वारा गठित कार्य मूल्यांकन समिति के द्वारा की गई। उक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि लिंकवेल टेलीसिस्टम्स प्रा०लि० हैदराबाद के द्वारा राज्य के जन वितरण प्रणाली दुकानों में ई-पॉस यंत्र का अधिष्ठापन एवं सुचारु रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है एवं इनका कार्य संतोषजनक है, जिसके पश्चात् लिंकवेल टेलीसिस्टम्स प्रा०लि० हैदराबाद के प्रतिनिधि के साथ दर वार्ता की गई एवं दर वार्ता के आलोक में लिंकवेल टेलीसिस्टम्स प्रा०लि०, हैदराबाद के प्रतिनिधि द्वारा पूर्व से निर्धारित दर (सभी कर सहित) 1405/- (एक हजार चार सौ पाँच) रुपये प्रतिमाह प्रति पॉस (PoS) प्रति जन वितरण प्रणाली दुकान (FPS) में से लीज रेंटल (Lease Rental) की राशि की कटौती करते हुए सभी कर सहित 1062/- (एक हजार बासठ रुपये) प्रतिमाह प्रति पॉस (PoS) प्रति जन वितरण प्रणाली दुकान की दर से सहमति दी गई। उक्त दर में से 50/- रुपये एवं जी०एस०टी० की राशि 18 प्रतिशत सहित अर्थात् 59/- रुपये का भुगतान प्रणाली समाकलक को बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु यू०आई०डी०ए०आई० निर्धारित मानदंड L0 के L1 के रूपान्तरण के पश्चात् वार्षिक शुल्क देय होगा।

पूर्व में उक्त योजना पर पाँच वर्षों में 46701 लाख रुपये व्यय की स्वीकृति प्राप्त की गई थी। यदि पुनः निविदा के माध्यम से प्रणाली समाकलक का चयन किया जाता तो पाँच वर्ष पूर्व दिए गए दर में मुद्रास्फीति के कारण वृद्धि की संभावना होती। ऐसी स्थिति में पूर्व के दर में निविदा शर्तानुसार कटौती करते हुए संशोधित दर रु० 1062/- (एक हजार बासठ रुपये) प्रतिमाह प्रति पॉस (PoS) प्रति जन वितरण प्रणाली दुकान की दर (सभी कर सहित) पर योजना का अवधि विस्तार अगले पाँच वर्ष (01 जनवरी, 2025 से 31 दिसम्बर, 2029) तक किया जाना प्रस्तावित है, जिसपर 35239.75 लाख रुपये (तीन सौ बावन करोड़ उनचालीस लाख पचहत्तर हजार रुपये) व्यय की संभावना होगी, जिसकी समेकित विवरणी निम्नवत् है :-

| क्रमांक | वित्तीय वर्ष                    | संभावित व्यय (लाख रु० में) |
|---------|---------------------------------|----------------------------|
| 1       | 2024-25 (01 जनवरी, 2025 से)     | 1761.99                    |
| 2       | 2025 - 26                       | 7047.95                    |
| 3       | 2026 - 27                       | 7047.95                    |
| 4       | 2027 - 28                       | 7047.95                    |
| 5       | 2028 - 29                       | 7047.95                    |
| 6       | 2029 - 30 (31 दिसम्बर, 2029 तक) | 5282.96                    |
|         | <b>कुल :-</b>                   | <b>35239.75</b>            |

5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत लक्षित जन वितरण प्रणाली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण (End to End Computerization) के द्वितीय चरण में राज्य में उचित मूल्य के दुकानों का स्वचालन (FPS Automation) योजनान्तर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानों में ई-पॉस यंत्र का अधिष्ठापन एवं सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु चयनित प्रणाली समाकलक (System Integrator) लिंकवेल टेलीसिस्टम्स प्रा०लि० को निविदा शर्तानुसार अगले पाँच वर्षों (01 जनवरी, 2025 से 31 दिसम्बर, 2029) तक अवधि विस्तार एवं उक्त मद में 35239.75 लाख रुपये (तीन सौ बावन करोड़ उनचालीस लाख पचहत्तर हजार रुपये) के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

6. उक्त योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश का 50 : 50 प्रतिशत निर्धारित है। केन्द्रीय सहायता (केन्द्रांश) की राशि का व्यय मुख्यशीर्ष 2408-खाद्य, भंडारण तथा भंडागार, उपमुख्य शीर्ष 01-खाद्य, लघु शीर्ष 101-प्रापण तथा पूर्ति, उपशीर्ष-0201-एन0एफ0एस0ए0 अन्तर्गत खाद्यान्नों के अंतः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन, विपत्र कोड 18-2408011010201 (PFMS Code-4048), विषयशीर्ष 0201-13-08 हथालन व्यय, मुख्यशीर्ष 2408-खाद्य, भंडारण तथा भंडागार, उपमुख्य शीर्ष 01-खाद्य, लघु शीर्ष 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0201-एन0एफ0एस0ए0 अन्तर्गत खाद्यान्नों के अंतः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन, विपत्र कोड 18-2408017890201 (PFMS Code-4048), विषयशीर्ष 0201-13-08 हथालन व्यय एवं मुख्यशीर्ष 2408-खाद्य, भंडारण तथा भंडागार, उपमुख्य शीर्ष 01-खाद्य, लघु शीर्ष 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0201-एन0एफ0एस0ए0 अन्तर्गत खाद्यान्नों के अंतः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन, विपत्र कोड 18-2408017960201 (PFMS Code-4048), विषयशीर्ष 0201-13-08 हथालन व्यय में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

केन्द्रांश के समानुपातिक राज्यांश की राशि का व्यय मुख्यशीर्ष 3456 सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 102 सिविल पूर्ति योजना, उपशीर्ष 0306 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन0एफ0एस0ए0 अन्तर्गत खाद्यान्नों के अंतः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन), विपत्र कोड-18-3456001020306 (PFMS Code-4048), विषयशीर्ष 0306-33-01 सब्सिडी, मुख्यशीर्ष 3456 सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष 0302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन0एफ0एस0ए0 अन्तर्गत खाद्यान्नों के अंतः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन), विपत्र कोड-18-3456007890302 (PFMS Code-4048), विषयशीर्ष 0302-33-01 सब्सिडी एवं मुख्यशीर्ष 3456 सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष 0302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन0एफ0एस0ए0 अन्तर्गत खाद्यान्नों के अंतः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन), विपत्र कोड-18-3456007960302 (PFMS Code-4048), विषयशीर्ष 0302-33-01 सब्सिडी के अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा (राज्यों को सहायता) नियम-2015 एवं खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकारों को सहायता) (संशोधन) नियम-2022 के आलोक में अग्रिम रूप से अतिरिक्त डीलर्स मार्जिन मद में 3381 लाख रुपये विमुक्त किया गया है एवं उतनी ही समानुपातिक राशि (3381 लाख रुपये) राज्यांश मद से बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम, पटना के SNA खाता में हस्तांतरित किया गया है, एवं शेष राशि का व्यय अगले वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त डीलर्स मार्जिन मद में विमुक्त की जाने वाली बकाया राशि एवं समानुपातिक राज्यांश की राशि से किया जाएगा।

7. मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक दिनांक 04.02.2025 को मद संख्या-36 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। संचिका संख्या- प्र06-कम्प्यूटराईजेशन(ई-पॉस)-02/2024/18 टि0।

(डॉ0 एन0 सरवण कुमार)  
प्रधान सचिव

आदेश :- अतः आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर दिया जाय ।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-प्र06-कम्प्यूटराईजेशन(ई-पॉस)-02/2024 202 खाद्य-पटना/दिनांक-07/02/2025  
प्रतिलिपि - ई-गजट प्रभारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को विषयशीर्ष की अंग्रेजी अनुवाद के साथ M.S. Word में सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कॉपी सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलंब प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि गजट की 100 (एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-प्र06-कम्प्यूटराईजेशन(ई-पॉस)-02/2024 202 खाद्य-पटना/दिनांक-07/02/2025  
प्रतिलिपि -महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-प्र06-कम्प्यूटराईजेशन(ई-पॉस)-02/2024 202 खाद्य-पटना/दिनांक-07/02/2025  
प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सरकार के सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालय/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा के उपक्रमों/पर्षदों को अविलंब सूचित करा दें ।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-प्र06-कम्प्यूटराईजेशन(ई-पॉस)-02/2024 202 खाद्य-पटना/दिनांक-07/02/2025  
प्रतिलिपि - सदस्य सचिव, बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-प्र06-कम्प्यूटराईजेशन(ई-पॉस)-02/2024 202 खाद्य-पटना/दिनांक-07/02/2025  
प्रतिलिपि - माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-प्र06-कम्प्यूटराईजेशन(ई-पॉस)-02/2024 २०२ खाद्य-पटना/दिनांक- 07/02/2025  
प्रतिलिपि - विशेष सचिव, प्रभारी प्रशाखा-05 (बजट शाखा), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण  
विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-प्र06-कम्प्यूटराईजेशन(ई-पॉस)-02/2024 २०२ खाद्य-पटना/दिनांक- 07/02/2025  
प्रतिलिपि - आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर डालने एवं ई-मेल करने हेतु  
प्रेषित।

प्रधान सचिव